

प्रपत्र-3



परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पंथ्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक चौडीकरण एवं सुधार कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी



JG

Seandey
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला


अभिधात्री अभियन्ता
मि. खण्ड जो. वि. वि. वि.
बलुवाकोट (पिथौरागढ़)

एनओएसओ टेलिया,
राज्य शासन,
उत्तराखण्ड शासन।

विभाग में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 8 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में गाठ मुख्यमंड़ी जी की घोषणा संख्या:-001/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र-धारचूला के बलुवाकोट पैय्या पीडी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार कि०मी० 9.40 से 10.40 तक चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

भाषा: हिन्दी

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता(पि०क्ष०), लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगमन, जिसकी कुल लागत ₹ 204.26 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 203.98 लाख (₹ दो करोड़ तीन लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र)की धनराशि आपसे निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1704/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोम्योरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त घाट मनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एनओपीओ, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत

जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि धनराशि से किया जायेगा।

(X) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारियों को होगा।

(XI) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक मुनिरिचत किया जायेगा यदि स्वीकृत कार्यो को सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मय में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(XII) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्यो की स्वीकृति पत्र निरस्त समझी जायेगी।

(XIII) विश्वगत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.00 लाख का रजट आर्दतन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या:- S1803220188 दिनांक 07 मार्च, 2019 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(XIV) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

(XV) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1011/XXVII(2)/2018 दिनांक 07 मार्च, 2019 में प्राप्त उरकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या- 1314 /11(2)/19-42(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.-। तददिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(पि0क्षे0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।
11. गार्ड बुक।

Attested

Canali
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला

Budget / AE Sh. G. K. Pandey / JE(T)

अनुदान Phase - I (Survey work) ई ई Part. TS 1 (MC)

JE(T) - निए मारन - 19 अ MIS में अन्तर्गत अर्ध

add. file

Register में अंकित 2

9/3/19

आज्ञा सं.
(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव